पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0–ई(एन0जी0)।।/2007/आर0सी0–04/सी0ओ0आर0ई0/। दिनांक–16.10.17, 12.12.17 एवं 28.11.19 में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक (का0) गोरखपुर के पत्र सं0–का/री–इंगेजमेन्ट/2019/IV दिनांक–13.12.19 अनुपालन में लखनऊ मंडल के विभिन्न विभागों की रिक्तियों के सापेक्ष में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित पदों पर री–इंगेजमेन्ट करने का निर्णय लिया गया है–

क0सं0	विभाग	संवर्ग	रिक्तियों की संख्या
1	प्रशासन	स्टेनोग्राफर	03
2	विद्युत्/टीआरडी	सीसेई/टीआरडी	01
3	सिगनल एवं दूरसंचार	ब्लैक स्मिथ	02
4	परिचालन	स्टेधी/स्टे0मास्टर	06
		कॉटावाला	20
		गेटमैन	10
5	इंजीनियरिंग	सीसेई/जेई/पीवे	08
		ब्लैक स्मिथ/पीवे	08
		वेल्डर/पीवे	06
		कारपेन्टर/कार्य	05
		ब्लैक स्मिथ/कार्य	01
		प्लम्बर/कार्य	02
		मेसन	06
6	यॉत्रिक/समाडि	तक0–।	01

कुल–79

अतः उपरोक्त पदो के विरूद्ध सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारियों की रीइंगेज करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है, जिसकी शर्ते निम्नवत् है–

1– इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात दो सप्ताह का समय आवेदन जमा करने हेतु निर्धारित किया जाता है।

2– सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदन से आवश्यकता और मेरिट के आधार पर री–इंगेज किया जाएगा। यह री–इंगेजमेन्ट सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा स्कीम की वैधता दिनांक–01.12.2020 तक अथवा आर.आर.सी/आर.आर.बी. या अन्य श्रोतों से कर्मचारी उपलब्ध होने तक अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने तक अथवा आवश्यकता न होने पर, जो भी पहले हो तक ही सीमित रहेगा।

3– री–इंगेजमेन्ट के समय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को चिकित्सकीय रूप से फिट होना आवश्यक है।

4– रिइंगेजमेंट रेल कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–ई(एन0जी0)।।/2007/आर0सी0–4/कोर/। दिनांक–16.10.17, आरबीई सं0–150/2017 दिनांक–16.10.17 एवं ई(एन0जी0)।।/2007/आर0सी0–4/कोर/। दिनांक–24.10.19 एवं समय–समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तो से शासित होंगे। इन्हे इसके अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा देय नही होगी।

5– रीइंगेज किए गए भू0पू0 कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।

6– ऐसे आवेदक जिन्होने अधिसूचना के पूर्व ही अपने आवेदन दिए है, वे पुनः निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन प्रेषित करें।

7– सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को री–इंगेजमेन्ट करने हेतु जारी अधिसूचना के कम में री–इंगेजमेन्ट हेतु आवेदन सम्बन्धित विभाग को दो सप्ताह के अन्दर सांय 5.00 बजे तक प्रेषित कर सकते है।उपरोक्त सभी विभाग द्वारा रिइंगेजमेन्ट कर्मचारियों के आवेदन की पुष्टि करते हुए सूची कम में इस कार्यालय के सबंधित कैडर अनुभाग में एक सप्ताह के अन्दर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेंगे।

– क्रमशः –

8– यह स्कीम 01.12.2020 तक वैध होगी, तत्सम्बन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

9– री–इंगेज्ड भू0पू0 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मंडल में कही भी नियुक्ति दी जा सकती है।

10– आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

11– वे भू0पू0 सेवानिवृत्त कर्मचारी इस अधिसूचना के लिए पात्र नही होगें जो एस.आर.आर.एस / एल.ए.आर.एस.जी.इ.एस.एस. (लार्सजेस) के अन्तर्गत स्वैछिक सेवानिवृत्त हो चुके है।

12– यह अधिसूचना रेलवे की वेबसाइट **www.ner.indianrailways.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

अतः भू0पू0 सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो लखनऊ मंडल इकाई में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक है, अपना अवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर सेवा प्रमाण पत्र, पी0पी0ओ0 की छायाप्रति के साथ निर्देशित समय के अन्दर अपने सम्बन्धित विभाग मंडल रेल प्रबन्धक, कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ को आवेदन प्रस्तुत करें इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नही होंगे।

17-02-2020

सहायक कार्मिक अधिकारी
लखनऊ

सं0–ई / IV / 563 / समापक / पुन नियोजन / 2017

दिनांक– 14.02.2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महाप्रबन्धक / कार्मिक / गोरखपुर
2– वमंकाधि / लखनऊ
3– वमंयाइ / समाडि / लखनऊ
4– वमंविई / टीआरडी / लखनऊ
5– वमंसिदूई / लखनऊ
6– वमंपरिप्र / लखनऊ
7– वमंई / समन्वय / लखनऊ
8– मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी / गोरखपुर, जनसम्पर्क अधिकारी / लखनऊ एवं पेशन एशो0 / लखनऊ
9– मुख्य कार्याधी / विद्युत् (टीआरडी), सिगनल, यांत्रिक / समाडि, परिचालन, इंजी0 एवं मैनेजिंग / कैडर
10– मुख्य कार्याधी / विद्युत् (टीआरडी), सिगनल, परिचालन, यांत्रिक / समाडि इंजी0– कृपया व्यापक प्रचार प्रसार करें।
11– मंडल मंत्री / नरमू / एससी–एसटी / ओबीसी / एशो0, लखनऊ
12– वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड

17-02-2020

सहायक कार्मिक अधिकारी
लखनऊ

आवेदन का प्रारूप

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0–ई(एन0जी0)।।/2007/आर0सी0–04/सी0ओ0आर0ई0/। दिनांक–16.10.17, 12.12.17 एवं 28.11.19, मंडल रेल प्रबन्धक (का0) पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ की अधिसूचना सं0–ई/IV/563/समापक/पुर्ननियोजन/2017 दिनांक– .02.2020

1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्मतिथि	
4	नियुक्ति तिथि	
5	भविष्य निधि सं0/एन0पी0एस0 सं0	
6	सेवानिवृत्ति के समय पद	
7	आवेदित पद	
8	कार्यालय जहॉ से सेवानिवृत्त हुए है	
9	सेवानिवृत्त तिथि	
10	लेवल/वेतनमान/ग्रेड पे	
11	अन्तिम मूल वेतन	
12	पेंशन की रकम	
13	पत्राचार का पता	
14	सम्पर्क नं0 (मोबाइल)	
15	संलग्न (हॉ/नही)	1– सेवा प्रमाण पत्र की छायाप्रति
		2– पेंशन भुगतान आदेश की प्रति

मेरी जानकारी में ऊपर दिए गए सभी विवरण सही एवं सत्य है। मै प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड/महाप्रबन्धक (कार्मिक) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर/मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) लखनऊ द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले नियमों एवं शर्तो का पालन करूँगा/करूँगी।

नवीन फोटो स्वहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

दिनांक.................................

पत्राचार का पता–

नाम–

पिता का नाम–

सेवानिवृत्त के समय पद–